न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

मुकदमा न0 विविध **26 / 2023**

प्रार्थी :— 1. शैतानराम पुत्र रवाराम जाति भील

2. जावताराम पुत्र रवाराम जाति भील, निवासीगण ग्राम कल्याणपुर, तहसील कल्याणपुर, जिला बाडमेर।

बनाम

विप्रार्थी :—

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कल्याणपुर

<u>आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0—राजस्व अधिनियम</u>

उपस्थित :— प्रार्थीगण स्वयं

आदेश

दिनांक :—03.03.2023

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि खसरा संख्या 1001 / 305, 1054 / 354, 1075 / 388 एवं खसरा संख्या 514 / 11 कुल खसरा 4 कुल रकबा 12.1972 हेक्टेयर ग्राम कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर मे आई हुई है जिससे खाता संख्या नया 220 एवं पुराना 167 है । इसी प्रकार प्रार्थीगण की अन्य खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 1639 / 372 रकबा 2.5900 हेक्टेयर ग्राम कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर मे आई हुई है जिसके खाता संख्या नया 221 पुराना 168 है, उपरोक्त कृषि भूमि के खाता संख्या 220 की जमाबन्दी मे प्रार्थी संख्या – 1.शैतानराम पुत्र रवाराम के स्थान पर अशुद्व एवं गलत रूप से सेलिया पुत्र रवा दर्ज कर दिया तथा खाता संख्या 221 की जमाबन्दी में सेताराम [illegible] दर्ज कर दिया जो गलत एवं अशुद्व है जबकि प्रार्थी संख्या 1 का [illegible] रवाराम है तथा प्रार्थी संख्या 1 के तमाम सरकारी दस्तावेज तथा आधार कार्ड [illegible] दाता पहचानपत्र, परिवार कार्ड , बैक खाता मे प्रार्थी का सही नाम शैतानराम पुत्र रवाराम दर्ज है । इसी तरह प्रार्थी संख्या –02 के उक्त आराजी के खाता संख्या 220 एवं 221 की कृषि भूमि जमाबन्दी मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.04.17 20:52:14 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थी संख्या 2 का नाम जामता एवं जामताराम पुत्र रवाराम दर्ज कर दिया जो अशुद्व है जबकि वास्तविक एवं शुद्व नाम जावताराम पुत्र रवाराम है । प्रार्थी संख्या –2 के तमाम सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र बैक खाता भी जावताराम के नाम से बने हुए है तथा ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणपत्र भी जारी किया गया । अतः प्रार्थी संख्या –01 का अशुद्व नाम सेलिया पुत्र रवा, सेताराम पुत्र रवाराम के स्थान पर शैतानराम पुत्र रवाराम एवं विप्रार्थी संख्या–02 का अशुद्व नाम जामता एवं जामताराम पुत्र रवाराम के स्थान पर जावताराम पुत्र रवाराम नाम की दुरूस्ती करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया । विप्रार्थी सरकारी पैरोकार अनुपस्थित । तहसीलदार कल्याणपुर के पत्र कमाक/भू.अ/2023/433 दिनांक 22.02.2023 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई । प्रार्थीगण को सुना गया तथा हमने पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात व तहसीलदार कल्याणपुर की मौका फर्द का अवलोकन व अध्ययन किया गया। जिसमे प्रार्थी संख्या –01 का अशुद्व नाम सेलिया पुत्र रवा, सेताराम पुत्र रवाराम व प्रार्थी सख्या –02 जामता एवं जामताराम पुत्र रवाराम है । जबकि प्रार्थी सख्या 01 व प्रार्थी संख्या –02 का आराजी मौजा कल्याणपुर में शैतानराम पुत्र रवाराम व जावताराम पुत्र रवाराम दर्ज है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

उपरोक्त विवेचनानुसार तहसीलदार कल्याणपुर की तथ्यात्मक रिपोर्ट की अभिशंषानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार कल्याणपुर को ग्राम कल्याणपुर पटवार हल्का कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर के खेत खसरा [संख्या 1091/365, 1054/354, 1035]/388 एवं खसरा संख्या 514/11कुल खसरा 4 कुल [रकबा 12.1973 हेक्टेयर के खाता] संख्या नया 220 एवं पुराना 167 मे प्रार्थी सख्या 01 का ना[म सेलिया पुत्र रवा, प्रार्थी सं]ख्या –02 का नाम जामता पुत्र रवाराम दर्ज है के स्थान पर **प्रार्थी संख्या –01 का शुद्व नाम शैतानराम पुत्र रवाराम व प्रार्थी संख्या –02 का शुद्व नाम जावताराम पुत्र रवाराम** व खसरा संख्या 1639/372 रकबा 2.5900 हेक्टेयर खाता संख्या नया 221 पुराना 168 मे प्रार्थी संख्या 01

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.04.17 20:52:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा
उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

का नाम सेताराम पुत्र रवाराम एवं प्रार्थी संख्या –02 का नाम जामताराम पुत्र रवाराम दर्ज है के स्थान पर प्रार्थी संख्या –01 का शुद्ध नाम **शैतानराम पुत्र रवाराम व प्रार्थी संख्या –02 का शुद्ध नाम जावताराम पुत्र रवाराम** राजस्व रेकर्ड मे अंकित करने का आदेश दिया जाता है ।

आदेश आज दिनांक 03.03.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.04.17 20:52:14 IST
Reason: SelfAttested